

रीज 0 नं 0 एल 0 डब्लू 0 / एल 0 पी 0 890

लाइसेंस नं 0 डब्लू 0 पी 0 - 41

लाइसेंस ट. पोस्ट एण्ड कम्युनिकेशन डी 0



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 16 मई, 2000

वैशाख 26, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 1292/सन्नह-वि-1-1(क) 16-2000

लखनऊ, 16 मई, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश मोटर स्पिड, डीजल आयल तथा अल्कोहल विक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 16 मई, 2000 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटर स्पिड, डीजल आयल तथा अल्कोहल विक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2000)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त मोटर स्पिड, डीजल आयल तथा अल्कोहल विक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अप्रति संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इत्सावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्पिड, डीजल आयल तथा अल्कोहल विक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

(2) यह पहली अप्रैल, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम
घोर प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 16 मई, 2000

संयुक्त प्रान्त
अधिनियम
संख्या 1 सन् 1939
की धारा 3
का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल भायल तथा अल्कोहल बिक्री करा अधिनियम, 1939 की धारा 3 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा की जायगी अर्थात्:—

“(3) उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में किसी बात के होते भी इस अधिनियम के अर्थात् राज्य में मोटर स्प्रिट या डीजल भायल की प्रथम बिक्री पर कोई कर उद्गृहीत या संग्रहीत नहीं होगा यदि उत्तर प्रदेश अध्यापार कर ऐक्ट 1948 के अधीन ऐसे माल की बिक्री पर कोई कर उद्गृहीत है।”

प्राज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी
प्रमुख सचिव।

No. 1292(2)/XVII-V-1-1(KA) 16-2000

Dated Lucknow, May 16, 2000.

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motor Spirit, Diesel Oil Tatha Alcohol Bikri Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 24 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 16, 2000.

THE UTTAR PRADESH SALES OF MOTOR SPIRIT, DIESEL OIL AND ALCOHOL TAXATION (AMENDMENT) ACT, 2000

(U. P. ACT NO. 24 OF 2000)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN
ACT

Further to amend the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

Amendment of Section 3 of the U. P. Act no. 1 of 1939

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on April 1, 2000.

2. In section 3 of the United Provinces Sales of Motor Spirit, Diesel Oil and Alcohol Taxation Act, 1939, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(3) Notwithstanding anything contained in clauses (a) and (b) of sub-section (1), no tax shall be levied or collected on the first sale of Motor Spirit or Diesel Oil in the State under this Act, if any tax is leviable on the sale of such goods under the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.”

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Prमुख Sachiv.

की 0 एत 0 00 की 0--ए 0 की 0 58 सा 0 वि 10--(598)-2000--850 (शेक 0)।

(156)